सोशल आडिट निदेशालय

ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0
7वाँ तल, पी.सी.एफ. भवन, 32, स्टेशन रोड, लखनऊ–226001
Phone No.: 0522-2630878, Fax: 0522-4003787, E-mail: socialauditup@yahoo.in

पत्रांक: 1522 / सो.आ.नि.–322(4) / 2025
दिनाँक: 21 फरवरी, 2025

प्रेषक,

निदेशक
सोशल आडिट,
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

समस्त जिला विकास अधिकारी,
(गाजियाबाद, गौतमबुद्धनगर, हापुड़, कासगंज, मेरठ एवं सहारनपुर को छोड़कर)
उत्तर प्रदेश।

विषयः **जिला / ब्लाक सोशल आडिट कोआर्डिनेटरों की परफारमेन्स रिपोर्ट उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

जैसा कि आप विदित हैं कि जनपदों में संविदा के आधार पर नियत अवधि के लिए सेवाएं प्रदान कर रहे जिला / ब्लाक सोशल आडिट कोआर्डिनेटरों की संविदा अवधि का विस्तार निदेशालय द्वारा प्रेषित परफारमेन्स रिपोर्ट के "प्रारूप" पर आप द्वारा प्रेषित उनकी परफारमेन्स रिपोर्ट का अध्ययन करते हुए गुण–दोष के आधार पर किया जाता है। जिला / ब्लाक सोशल आडिट कोआर्डिनेटरों की संविदा अवधि दिनांक 31–03–2025 तक है, उक्त अवधि के पश्चात् इनकी संविदा अवधि का विस्तारीकरण उनकी परफारमेन्स रिपोर्ट के आधार पर किया जाना है।

2– जिला / ब्लाक सोशल आडिट कोआर्डिनेटरों की संविदा अवधि विस्तारीकरण हेतु परफारमेन्स रिपोर्ट का "प्रारूप" संलग्न करते हुए अनुरोध है कि कृपया प्रत्येक जिला / ब्लाक सोशल आडिट कोआर्डिनेटर के सम्बन्ध में अलग–अलग (जनपद से सम्बन्धित) समस्त बिन्दुओं पर अपनी रिपोर्ट एवं वांछित टिप्पणी **दिनांक 28–02–2025** तक प्रत्येक दशा में इस निदेशालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

3– साथ ही इस आशय की भी आख्या प्रेषित करें कि जिला / ब्लाक सोशल आडिट कोआर्डिनेटरों द्वारा निदेशालय के पत्र संख्या 484 / सो0आ0नि0–312 / 15 दिनांक 06–11–2015 (छायाप्रति संलग्न) में दिए गए आचरण सम्बन्धी निर्देशों का पालन सुचारू रूप से किया जा रहा है अथवा नहीं।

4– **स्मरण रहे कि संलग्न प्रारूप के कॉलम्स में "टिक" मार्क न लगाकर विवरण साफ–साफ शब्दों में अंकित किया जाना चाहिए, कोई भी कॉलम, जो आपसे सम्बन्धित हैं, खाली न छोड़ें तथा आपके जनपद में इंगेज सभी DSAC/BSAC की परफारमेन्स, जैसी भी हो, अवश्य भेजें। आपके द्वारा प्रेषित परफारमेन्स रिपोर्ट के प्रत्येक पृष्ठ पर आपके हस्ताक्षर होना अनिवार्य है। यदि किसी DSAC/BSAC की परफारमेन्स आपके द्वारा नहीं भेजी गयी,**

जिसके कारण उसकी संविदा के सम्बन्ध में निदेशालय स्तर पर यथोचित निर्णय नहीं लिया जा सका तो इसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी आपकी होगी।"

संलग्नक–उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(कमलेश कुमार)
निदेशक।

प्रतिलिपि :–

समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0 (गाजियाबाद, गौतमबुद्धनगर, हापुड़, कासगंज, मेरठ एवं सहारनपुर को छोड़कर) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(कमलेश कुमार)
निदेशक।

DSAC के आचरण एवं कार्य (Performance) रिपोर्ट का प्रारूप

DSAC का नाम–................................ अवधि ....

जनपद का नाम–................................

क्र0 सं0	बिन्दु	आख्या		
		उत्तम	संतोषजनक	असंतोषजनक
जनपद स्तर पर आंकलन (जनपद द्वारा भरा जायेगा)				
1.	आचरण एवं अनुशासन			
2.	BRP एवं टीम के सदस्यों के पैनल गठन में सहयोग			
3.	टीम के सदस्यों के प्रशिक्षण में प्रतिभाग			
4.	सोशल आडिट टीम एवं BSAC/BRP के साथ समन्वय			
5.	जनसामान्य एवं उच्चाधिकारियों के प्रति व्यवहार			
6.	सत्यनिष्ठा संबंधी उनकी सामान्य ख्याति			
निदेशालय स्तर पर आंकलन (निदेशालय द्वारा भरा जायेगा)				
7.	निदेशालय द्वारा सौंपे गये सोशल आडिट से संबंधित दायित्वों तथा निर्देशों का पालन।			
8.	विभिन्न प्रकार की रिपोर्ट का समय से प्रेषण			
9.	प्राप्त सोशल आडिट रिपोर्ट का भारत सरकार की वेबसाइट पर अपलोड करना			
10.	प्राप्त प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण की सोशल आडिट रिपोर्ट का निदेशालय की वेबसाइट पर अपलोड करना			
11.	वर्ष में निदेशालय से प्रस्तावित सोशल आडिट के सापेक्ष संपन्न सोशल आडिट का प्रतिशत			
12.	अपलोड सोशल आडिट रिपोर्ट की गुणवत्ता			

हस्ताक्षर ....

जिला विकास अधिकारी, जनपद ....

BSAC के आचरण एवं कार्य (Performance) रिपोर्ट का प्रारूप

BSAC का नाम– .... अवधि ....

विकास खण्ड–...................................... जनपद –...

क्र0 सं0	बिन्दु	आख्या		
		उत्तम	संतोषजनक	असंतोषजनक
जनपद स्तर पर आंकलन (जनपद द्वारा भरा जायेगा)				
1.	आचरण एवं अनुशासन			
2.	उच्चाधिकारियों द्वारा सौंपे गये सोशल आडिट से संबंधित दायित्वों तथा निर्देशों का पालन।			
3.	विभिन्न प्रकार की रिपोर्ट का जनपद पर समय से प्रेषण			
4.	सोशल आडिट टीम सदस्यों, जनसामान्य एवं उच्चाधिकारियों के प्रति व्यवहार			
5.	सम्बन्धित विकास खण्ड की सोशल आडिट होते समय रिपोर्ट अपलोड किए जाने हेतु जनपद को रिपोर्ट प्रेषण में सहयोग की स्थिति			
6.	सत्यनिष्ठा संबंधी उनकी सामान्य ख्याति			
7.	सोशल आडिट सम्पन्न होने के पश्चात् सोशल आडिट रिपोर्ट जमा करने की अवधि			
निदेशालय स्तर पर आंकलन (निदेशालय द्वारा भरा जायेगा)				
8.	सोशल आडिट हेतु आवंटित ग्राम पंचायतों के सापेक्ष सम्पन्न सोशल आडिट का प्रतिशत			
9.	संबंधित विकास खण्ड में कुल गठित होने वाली टीमों के सापेक्ष कुल गठित टीमों की संख्या			
10.	टीम में चयनित कुल सदस्यों के सापेक्ष प्रशिक्षण में प्रतिभागी सदस्यों की संख्या			
11.	सम्पन्न ग्राम पंचायतों में प्रति ग्राम पंचायत पाए गए प्रकरणों की स्थिति			
12.	सम्पन्न ग्राम पंचायतों में प्रति ग्राम पंचायत पाए गए वित्तीय अनियमितता एवं वित्तीय विचलन के प्रकरणों की धनराशि एवं संख्या			

हस्ताक्षर ....

जिला विकास अधिकारी, जनपद ....